न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/205 दायरा दिनांक : 09.12.2024

उनवान

जाकिर हुसैन पुत्र याकूब खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. मुमताज पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
2. सत्तार मोहम्मद पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
3. हुसैन पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
4. ख्वाजू मोहम्मद पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
5. जमीला पुत्री काले खां पत्नि मुद्दीम, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.) हाल निवासी रीछवा, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज.)
6. श्रीमती अनिसा पुत्री काले खां पत्नि सिराज मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.) हाल निवासी सिंगोली, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राम माहेश्वरी एवं श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बच्चू लाल एवं सुश्री भगवती अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 01.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 484/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 0.3200 हेक्टर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.2400 हेक्टर, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.4400 हेक्टर, खसरा नम्बर 468/523 रकबा 0.1200 हेक्टर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.1000 हेक्टर, खसरा नम्बर 472/527 रकबा 0.1300 हेक्टर, खसरा नम्बर 553/465 रकबा 0.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 472/532 रकबा 0.12 हेक्टर वाके ग्राम गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ वादी गण के खाते, कब्जे व काश्त की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2024 से वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील मनमाना, केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का विधिक रूप से अवलोकन व परिशीलन किये बिना निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। नाथीबाई की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतक अंकित नहीं किया। तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 तैयार किये जाते समय वादी/रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा पैमाईश रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने के कारण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये थे और पैमाईश करने वाली पूरी टीम पर अनर्गल आरोप तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किये जाने व अप्रार्थी यानि अपीलान्ट से पैसे लेकर गलत पैमाईश करने का आरोप लगाया था और देख लेने की धमकी दी गई थी। जो स्पष्ट रूप से पैमाईश रिपोर्ट में अंकित किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करते समय उक्त कथन प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा कहे जाने मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता रामबाबू माहेश्वरी को निर्णय में वादीगण का अधिवक्ता होना दर्ज किया है तथा वादीगण के अधिवक्ता को अपीलार्थी/प्रतिवादी का अधिवक्ता होना दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1, 2, 3 का निर्णय गलत तौर से पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विरूद्ध कर कानूनी भूल की है तथा तनकी नं. 1 का निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 11.05.2006 को ही अपने मस्तिष्क में रखा है और उसी के आधार पर तनकी नं. 1 को वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी संख्या 3 को गलत तौर से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित की। जबकि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 13.06.2006 के उपरान्त अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट तलब कर निर्णय करना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

माननीय न्यायालय के स्पष्ट निर्णय दिनांक 23.12.2013 के उपरान्त भी मौका रिपोर्ट स्पष्ट न होने के बावजूद तथा राजस्व नक्शे में उसका अंकन व उल्लेख नहीं किये जाने के उपरान्त भी पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.07.2024 अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 29.07.2024 को निर्णय व डिक्री पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया है। लेकिन उक्त दिनांक को निर्णय दावे के आंशिक स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सुनाया गया था, नकल हेतु प्रार्थना पत्र भी तत्काल पेश कर दिया गया। लेकिन कोई निर्णय व डिक्री नहीं लिखा गया और लगातार सम्पर्क किये जाने के उपरान्त भी निर्णय की पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास होना सम्बन्धित रीडर द्वारा बताया गया। पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने के बाद उक्त पत्रावली में आनन–फानन में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसकी सूचना सम्बन्धित रीडर द्वारा दिनांक 19.09.2024 को दी गई। नकल काफी प्रयास करने के बावजूद दिनांक 24.09.2024 को दी गई। जिस कारण नकल के दिन मुजरा लिये जाने व दिनांक 02.10.2024 व 03.10.2024 को अवकाश होने के कारण अपील अवधि मध्य पेश की जा रही है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 और नाथी ने दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 और नाथी ने बेदखली का दावा किया था। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 635/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2010 से दावा वादीगण मय खर्चा स्वीकार कर डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर उक्त अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, के न्यायालय में अपील संख्या 303/2010 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 01.04.2011 से इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि विवादित आराजी की पैमाइश पटवारी हल्का एवं कानूनगो के द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण की मौजूदगी में पुनः करवायी जाये और रिपोर्ट प्राप्त होने पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पारित किया जावे। जिस पर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से प्रकरण सं. 438/2011 में दर्ज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2012 से दावा वादीगण साबित नहीं होने से मय खर्चा खारिज किया। जिससे अप्रसन्न होकर उक्त अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, के न्यायालय में अपील संख्या 320/2010 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 11.11.2013 से इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि प्रकरण में उभयपक्षकारान की मौजूदगी में पुनः सीमांकन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्राप्त की जावे जिसमें इस तथ्य का साफ तौर पर उल्लेख हो कि अपीलांट वादी के खाते की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया है या नहीं, कब्जा किया गया है उसके खसरा नं. पर कितने क्षेत्र में, क्या मौके पर कब्जा करने के बाद कोई तार फैसिंग या किसी पत्थर की कोट बनायी गई है या नहीं। विवादित भूमि के उस हिस्से पर जहां वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जे किये जाने का उल्लेख किया है पर मौके पर फसल किसकी है मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करते हुए राजस्व नक्शे की प्रति को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए उस पर भी यदि कब्जा हो तो कहां तक है का अंकन करवाया जावे। जिस पर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से प्रकरण सं. 484/दावा/2014 में दर्ज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2024 से वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर फर्द डिक्री किया गया। पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही वे सहमत नहीं थे। तनकी नं. 1 दिनांक 11.05.2006 की रिपोर्ट के आधार पर निर्णित की जबकि पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 के अनुसार निर्णित होनी चाहिए थी। पूर्व में जिस दिशा निर्देशों के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया है उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए था। जिस पैमाइश रिपोर्ट पर निर्णय हुआ वादी स्वयं भी उससे संतुष्ट नहीं है। अतः प्रकरण पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 13.06.2006 की पैमाइश रिपोर्ट व नक्शे में कब्जे का उल्लेख है। दिनांक 28.05.2014 की पैमाइश रिपोर्ट में अंकित है कि पूर्व में ही सीमाज्ञान किया जा चुका है। दिनांक 13.06.2006 की पैमाइश रिपोर्ट को अपील में चेलैंज नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम गागरोन तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा नं. 461 रकबा 0.3200 हेक्टर, खसरा नं. 463 रकबा 0.2400 हेक्टर, खसरा नं. 464 रकबा 0.4400 हेक्टर, खसरा नं. 468/523 रकबा 0.1200 हेक्टर, खसरा नं. 469 रकबा 0.1000 हेक्टर, खसरा नं. 472/527 रकबा 0.1300 हेक्टर, खसरा नं. 553/465 रकबा 0.1800 हेक्टर, खसरा नं. 472/532 रकबा 12 हेक्टर वादीगण के कब्जे व काश्त की है। आराजी खसरा नं. 461 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नं. 553/465 रकबा 0.1800 हैक्टर एवं खसरा नं. 469 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नं. 1 की भूमि से लगी हुई है। जिस पर बिना वादीगण की सहमति से 4 वर्ष पहले जबरदस्ती तार फेसिंग कर ली है तथा खसरा नं. 469 रकबा 0.1000 हेक्टर भूमि पर कांटो की बागर लगा ली है। दिनांक 13.06.2006 को उक्त विवादग्रस्त आराजी की पेमाईश तहसीलदार झालरापाटन के आदेश से पटवारी गागरोन ने की तो पाया कि वादीगण की खाते कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 461 रकबा 0.3200 हैक्टर मे से दक्षिण की दिशा में 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 553/465 रकबा 0.1800 हेक्टर खसरा नं. 469 की 0.1000 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी जाकिर हुसैन का नाजायज कब्जा पाया। प्रतिवादी ने वादीगण की खाते कब्जे काश्त की आराजी पर अवैध कब्जा करके उससे करीब 10 हजार रूपयों का प्रतिवर्ष की फसल पैदा करके आय प्राप्त कर रहा है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी से प्रतिवादी जाकिर हुसैन को बेदखल कर कब्जा वादीगण दिलाया जावे तथा 15 गुना वार्षिक दर जुर्माना भी प्रतिवादी से दिलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2010 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 1 जाकिर हुसैन ने न्यायालय हाजा में दिनांक 22.10.2010 को प्रकरण संख्या 303/2010 से अपील दायर की गई। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2011 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विवादित आराजी की पैमाईश पटवारी हल्का एवं कानूनगो के द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण की मौजूदगी में पुनः करवायी जाये और रिपोर्ट प्राप्त होने पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 01.04.2011 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.09.2012 से दावा वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की। न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 11.11.2013 से अपने निर्णय से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करते हुए राजस्व नक्शे की प्रति को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.11.2013 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2024 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार झालरापाटन पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 अनुसार वादीगण की ग्राम गागरोन की खातेदारी भूमि खसरा नं. 461, 463, 464, 468/465 में से खसरा नं. 463 की दक्षिण मेड की ओर 6 गट्ठे एंव खसरा नं. 553/465 की पूर्वी मेड पर दक्षिण दिशा की ओर 2 गट्ठे पर प्रतिवादी कम 1 का अतिक्रमण साबित है उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाकर कब्जा वादीगण को संभलावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य विवादित आराजी के सन्दर्भ में वर्ष 2006 से विवाद चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित द्वितीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 320/2012 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.11.2013 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि उभयपक्षकार की मौजूदगी में पुनः सीमांकन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्राप्त की जावे जिसमें इस तथ्य का साफ तौर पर उल्लेख हो कि अपीलांट वादी के खाते की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया है या नहीं, कब्जा किया गया है, तो उसके खसरा नम्बर पर कितने क्षेत्र में, क्या मौके पर कब्जा करने के बाद कोई तार फैसिंग या किसी पत्थर की कोट बनायी गई है या नहीं। विवादित भूमि के उस हिस्से पर जहां वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जे किये जाने का उल्लेख किया है पर मौके पर फसल किसकी है मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करते हुए राजस्व नक्शे की प्रति को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए उस पर भी यदि कब्जा हो तो कहां तक है का अंकन करवाया जावे।

न्यायालय हाजा के उपरोक्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.05.2014 से 3 कानूनगो व 4 पटवारियों की संयुक्त टीम द्वारा तैयार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न संयुक्त टीम की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पुत्रों एवं अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उभयपक्षकारान को सीमाज्ञान की जानकारी थी। प्रकरण में इससे पहले भी सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। दिनांक 28.05.2014 को संयुक्त टीम द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य मेड पर तार फैसिंग हो रही है। खसरा नं. 463 की दक्षिण मेर की ओर अप्रार्थी द्वारा 6 गठ्ठे पर अंतिक्रमण कर रखा है एवं खसरा नं. 553/465 की पूर्वी मेर पर दक्षिण दिशा की ओर 2 गठ्ठे पर अप्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है जिसे मौके पर आवेदिका के पुत्रों को बताया तथा निशानात कायम करवाए गए।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा वादी रेस्पोडेंट के खाते की आराजी खसरा नं. 463 व 553/465 पर अतिक्रमण करने की पुष्टि होती है। प्रस्तुत मौका

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रिपोर्ट में वादीगण के खाते की आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किस खसरा नम्बर पर कितने भाग पर अतिक्रमण किया गया है इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर .अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किया है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के दावे में मौका रिपोर्ट मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिवत प्रतीत होता है। अतः अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2024 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

जाकिर हुसैन पुत्र याकूब खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. मुमताज पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
2. सत्तार मोहम्मद पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
3. हुसैन पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
4. ख्वाजू मोहम्मद पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
5. जमीला पुत्री काले खां पत्नि मुद्दीम, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.) हाल निवासी रीछवा, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज.)
6. श्रीमती अनिसा पुत्री काले खां पत्नि सिराज मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी गागरोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.) हाल निवासी सिंगोली, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2024/205** व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**
मु.द.नं **484/दावा/2014** निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **29.07.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 04 माह 07 सन् **2025**

हाजरी **श्री राम माहेश्वरी एवं श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री बच्चू लाल एवं सुश्री भगवती** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 से 5 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2024 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **01** माह **08** सन् **2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा